



राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं: 0141-2709114



फैक्स: 0141-2701822

email : rajssa_cmeccce@yahoo.com

क्रमांक : राप्राशिप / जय / सामु.गति / 17-18 / 6553

दिनांक : 18/9/17

संशोधित

::अध्यापक-अभिभावक परिषद (PTA) की दिनांक 20.09.2017 को आयोज्य बैठक हेतु दिशा-निर्देश::

शिविरा पंचांग : 2017-18 के अनुसार दिनांक : 20.09.2017 को अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक आयोज्य है। उक्त दिवस को अमावस्या तिथि के अनुरूप विभाग द्वारा प्रदत्त स्थायी निर्देशानुसार SDMC एवं SMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक भी पूर्व निर्धारित है। सत्र 2017-18 में अध्यापक-अभिभावक परिषद की प्रथम बैठक (I PTM) दिनांक : 05.05.2017 को आयोजित की जा चुकी है। उक्त क्रम में सत्र : 2017-18 हेतु अध्यापक-अभिभावक परिषद की द्वितीय बैठक (II PTM) का आयोजन SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 20.09.2017 को विद्यालय समयारम्भ (प्रातः 8.05) से अग्रांकित निर्देशानुरूप किया जावे :—

➤ पूर्व की तैयारी एवं दायित्व :—

अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक तभी सार्थक होगी, जब उक्त परिषद के सभी घटक अग्रांकित विवरणानुसार निर्देशित दायित्वों का समुचित निर्वहन करेंगे।

1. संस्था प्रधान एवं शिक्षक गुण :—

- बैठक की निर्धारित तिथि से दो सप्ताह पूर्व अभिभावकों को निमन्त्रण पत्र भेजे जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करना।
- SDMC/SMC सदस्यों को समस्त अभिभावकों को बैठक में सम्मिलित होने हेतु घर-घर जाकर सूचित/निमंत्रित करने हेतु प्रेरित करना।
- सार्वजनिक स्थलों पंचायत भवन, मंदिर/गुरुद्वारे/बस स्टेण्ड आदि स्थानों पर एसएमसी सदस्यों द्वारा बच्चों की रैली एवं अन्य माध्यमों से बैठक का व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
- बैठक दिवस को अभिभावकों की उपयुक्त बैठक एवं पेयजल की आवश्यकतानुसार उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना।
- स्कूल डायरी/एस.एम.एस./व्हाट्स एप/पत्र द्वारा अभिभावकों को बैठक हेतु स्मरण पत्र भिजवाना।
- विद्यालय स्टाफ के साथ पूर्व तैयारी बैठक कर संयुक्त बैठक के दौरान अभिभावकों के साथ सम्मानजनक एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार हेतु आवश्यक निर्देश तथा सुझाव देते हुए अभिभावकों/आमंत्रित अतिथियों के उचित सत्कार की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- बैठक में अनुपस्थित अभिभावकों को आगामी बैठक में भाग लेने हेतु सूचना/स्मरण पत्र प्रेषित करना।
- विगत की अध्यापक-अभिभावक परिषदकी तीनों बैठकों में भागीदारी करने वाले अभिभावकों को आभार ज्ञापित करना।

2. जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल उप निदेशक :—

- बैठक के दस दिवस पूर्व से क्षेत्राधिकार के विद्यालयों द्वारा बैठक में भागीदारी हेतु निमन्त्रण पत्र भेजे जाने की कार्यवाही का समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन करना।
- जिला कलेक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समुचित समन्वय एवं सम्पर्क कायम करते हुए बैठक के विस्तृत प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित करना एवं बैठक की सार्थक सफलता हेतु स्थानीय प्रशासन तंत्र का उचित एवं आवश्यक सहयोग प्राप्त करने तथा जिला/उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा बैठक दिवस को विद्यालयों में बैठक अवलोकन हेतु उपस्थिति बाबत आग्रह करना।
- जिला स्तर पर व्हाट्स/एस.एम.एस./इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों/प्रिन्ट मीडिया का यथोचित उपयोग



- क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में बैठक दिवस को बैठक व्यवस्था एवं पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु संस्था प्रधानों का आवश्यकतानुसार सम्बलन एवं मार्गदर्शन।
 - जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल कार्यालय में पदस्थापित समस्त अधिकारियों द्वारा बैठक दिवस को क्षेत्राधिकार में विद्यालयों का बैठक अवलोकन हेतु भ्रमण कार्यक्रम निर्मित कर निर्धारित अवलोकन प्रपत्र में तत्त्विद्वास ऑन लाईन फीडिंग (लिंक <http://tinyurl.com/PTA-Monitoring-Form>) सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करना।
 - बैठक दिवस के तत्काल पश्चात् बैठक में अभिभावक उपस्थिति विवरण क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों द्वारा शाला दर्पण पर अंकित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- अध्यापक-अभिभावक परिषद एवं SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक की रूपरेखा :-

क्र.सं.	करणीय कार्यवाही	निर्धारित समयावधि
1	प्रार्थना—सभा में भागीदारी :- <ul style="list-style-type: none"> ● विद्यालय की प्रार्थना सभा में अभिभावकों को सम्मिलित किया जावे। ● एक दो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बालक—बालिकाओं द्वारा दी जाए। इसका उद्देश्य बालक—बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना हो। ● SDMC एवं SMC के सदस्यों का पारस्परिक परिचय एवं उनके दायित्व के सम्बन्ध में चर्चा। ● राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों हेतु संचालित विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाओं के सम्बन्ध में अभिभावकों को अवगति प्रदान करना। ● विद्यालय द्वारा PTM आयोजन के उद्देश्यों एवं अभिभावकों से अपेक्षित भूमिका बाबत् विशद् चर्चा। ● विद्यालय विकास हेतु अभिभावकों के सुझाव एवं सवाल। 	प्रार्थना सभा – 25 मिनट पारस्परिक सम्बाद—30 मिनट
2	विद्यार्थियों की शैक्षिक लक्ष्य पर विचार—विमर्श :- <ul style="list-style-type: none"> ● प्रार्थना सभा एवं पारस्परिक सम्बाद कार्यक्रम के उपरान्त माह अगस्त में आयोजित प्रथम परख में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के सम्बन्ध में अभिभावकों को अवगत करवाया जाना है। इस हेतु कक्षाध्यापकों द्वारा समन्वय करते हुए विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय में ठहराव/उपस्थिति एवं विषयवार प्रदर्शन के आधार पर आवश्यकतानुसार विषयाध्यापकों/कक्षाध्यापक एवं अभिभावकों का पारस्परिक सम्बाद स्थापित किया जाएगा। उक्त सम्बाद में कमज़ोर शैक्षिक उपलब्धि वाले विद्यार्थियों के अधिगम स्तर पर उन्नयन हेतु ध्यान दिये जाने योग्य बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की जायेगी। 	02 घण्टे
3	अध्यापक—अभिभावक परिषद एवं SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की संयुक्त बैठक का आयोजन :- <p>विद्यार्थियों की शैक्षिक लक्ष्यों के सम्बन्ध में विषयाध्यापक/कक्षाध्यापक के अभिभावकों के साथ पर पारस्परिक सम्बाद कार्यक्रम के समान्तर SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन भी आवश्यकतानुसार समय प्रबन्धन करते हुए किया जाना है, जिसमें पूर्व प्रदत्त निर्देशानुरूप विद्यालय की स्थानीय आवश्यकता के मुद्दों पर विचार—विमर्श एवं करणीय कार्यों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित करने के साथ—साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा का समावेशन भी विद्यालय की आवश्यकतानुरूप किया जाए :-</p>	आवश्यकतानुसार समय प्रबन्धन करते हुए।

क्र. सं.	कर्णीय कार्यवाही	निर्धारित समयावधि
	<ul style="list-style-type: none"> माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषण की क्रियान्विति के अन्तर्गत 'मुख्यमंत्री जन-सहभागिता विद्यालय विकास योजना' के दिशा निर्देशों से समस्त अभिभावक एवं SDMC सदस्यों को अवगत करवाते हुए विद्यालय विकास के लिए उक्त योजना की क्रियान्विति हेतु आवश्यक जनसहयोग जुटाने की सम्भावना पर विचार-विमर्श करना। विद्यालय के शैक्षिक एवं भौतिक विकास को निरन्तरता प्रदान करने हेतु स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए विद्यालय में विभागीय निर्देशानुरूप गठित 'विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच' के माध्यम से सत्र : 2017-18 में 'सखा सगम' कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए तिथि का निर्धारण करना। SDMC को प्राप्त सहयोग राशि को आयकर अधिनियम की धारा-80(जी) के तहत आयकर से छूट हेतु विद्यालय द्वारा शासन के निर्देशानुरूप आयकर विभाग में पंजीयन हेतु की गई कार्यवाही से अवगत करवाना एवं उक्तानुसार विद्यालय विकास हेतु जन सहयोग जुटाने में अभिभावकों एवं SDMC सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना। शासन के निर्देशानुरूप विद्यालय में समन्वित किए गए आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण बाबत संस्था प्रधानों को प्रदत्त नवीन निर्देशों की अवगति अभिभावकों एवं SDMC सदस्यों को प्रदान करना एवं उक्त कार्य में उनका वांछित सहयोग प्राप्त करना। 	
4	संस्था प्रधान का उद्बोधन :- <ul style="list-style-type: none"> विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक उपलब्धियां। विद्यालय के बोर्ड परीक्षा परिणाम के सम्बन्ध में अभिभावकों को अवगत करवाते हुए उसके आधार पर विद्यालय को प्राप्त स्टार रैकिंग की जानकारी प्रदान करने। विद्यालय विकास योजना (SDP) के समुचित क्रियान्वयन की जानकारी। विद्यार्थियों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति, गृहकार्य एवं नियमित अध्ययन में अभिभावकों के सहयोग के सम्बन्ध में जागरूकता का संदेश देना। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बाबत दायित्वों का उल्लेख करना। 	30 मिनट
	I भामाशाहों के योगदान की सराहना :- <ul style="list-style-type: none"> विद्यालय में सहयोग प्रदान करने वाले भामाशाहों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना। 	
	II अभिभावकों की जिज्ञासाओं का समाधान तथा फीड-बैक लेना :- <ul style="list-style-type: none"> विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना एवं उनकी अनुकरणी आदतों एवं प्रवृत्तियों का दूसरे विद्यार्थियों द्वारा अनुसरण करने हेतु प्रेरित करना। विद्यालय विकास के लिये अभिभावकों के सुझाव एवं सवाल। III अध्यापक-अभिभावक परिषद की माह नवम्बर में दिनांक : 18.11.2017 को आयोज्य माँ-शिक्षक बैठक (Mother Teacher Meeting) में अपने पुत्र/पुत्री की महिला अभिभावक (माँ/दादी/ताई/चाची/बुआ/नानी/मामी/मौसी) को बैठक में भाग लेने हेतु अग्रिम सूचना प्रदान कर सानुरोध आमंत्रित करना।	

- अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक के पश्चात विद्यालय द्वारा कर्णीय कार्यवाही :-
- बैठक में उपस्थित अभिभावकों का संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस को नियत प्रारूप-1 (संलग्न परिशिष्ट-1) में हस्ताक्षर करवाकर अभिलेखों में अंकन करवाना।

- बैठक मे अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस को नियत प्रारूप-2(संलग्न-2) में पत्र जारी कर इस हेतु सूचित किया जाएगा एवं आगामी कार्य दिवस को विद्यालय में उपस्थित होकर विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों के सम्बन्ध में अवगति प्राप्त करने तथा आगामी बैठक में भाग लेने हेतु आग्रह किया जाएगा।
- संलग्न प्रपत्र-3 (परिशिष्ट-3) में सूचना कार्यक्रम आयोजित होने से दो दिवस में राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ) email : rajssa_cmecc@yahoo.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- परिशिष्ट 1, 2 व 3

96
 (डॉ.भीगाराम)
 आयुक्त
 रा.प्रा.शि.प., जयपुर

क्रमांक : राप्राशिप/जय/ सामु.गति/ 2017-18/ 6854

दिनांक : 18/11/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर
- समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा
- समस्त जिला / अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए
- समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
- समस्त संस्था प्रधान, प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय
- रक्षित पत्रावली

8/18/2017
 (जस्सा राम) चौधरी
 अतिरिक्त आयुक्त
 रा.प्रा.शि.प., जयपुर

बैठक में उपस्थित रहने वाले अभिभावकों के विवरण का प्रारूप

अध्यापक—अभिभावक परिषद : राजकीयविद्यालय.....

आदरणीय / आदरणीया

शुभाभिवादन !

विद्यालय में दिनांक 20.09.2017 को आयोजित अध्यापक—अभिभावक परिषद की बैठक में आपकी उपस्थिति हेतु परिषद आपका आभार ज्ञापित करती है :-

क्र.सं.	विद्यार्थियों के नाम, जिनके एक अथवा दोनों अभिभावकों ने बैठक में भाग लिया	नाम अभिभावक	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

धन्यवाद!

संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर

मय मुहर

www.rajteachers.com

बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को प्रेषणीय पत्र का प्रारूप

अध्यापक—अभिभावक परिषद : राजकीयविद्यालय.....

आदरणीय / आदरणीया

शुभाभिवादन !

विद्यालय में दिनांक 20.09.2017 को आयोजित अध्यापक—अभिभावक परिषद की बैठक में सादर उपस्थिति हेतु आपसे आग्रह किया गया था। आप के अनुपस्थित रहने वाले महत्वपूर्ण विमर्श में आपकी भागीदारी नहीं हो सकी और न ही आपके पुत्र/पुत्री..... (विद्यार्थी का नाम), कक्षा.....वर्ग.....की शैक्षिक एवं सह—शैक्षिक प्रगति/आवश्यकताओं से सम्बन्धित अवगति दी जा सकी। अतः आपसे आग्रह है कि आगामी कार्य दिवस को विद्यालय में उपस्थित होकर विद्यार्थी की प्रगति एवं बैठक के विमर्श के निर्णयों एवं सुझावों की अवगति प्राप्त करले।

आपसे यह भी अनुरोध है कि अध्यापक—अभिभावक परिषद की माह नवम्बर में दिनांक : 18.11.2017 को आयोज्य माँ—शिक्षक बैठक (Mother Teacher Meeting) में अपने पुत्र/पुत्री की महिला अभिभावक (माँ/दादी/ताई/चाची/बुआ/नानी/मामी/मौसी) की उपस्थिति अवश्य दर्ज करावें।

धन्यवाद!

संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर

मय मुहर

www.rajteachers.com

प्रारूप -3

सामुदायिक गतिशीलता

अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक 2017-18

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	कुल विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों की संख्या जहाँ बैठक आयोजित हुई	विद्यार्थियों की संख्या जिनके एक अथवा दोनों अभिभावकों ने बैठक में भाग लिया	विद्यार्थियों की संख्या जिनके अभिभावकों ने बैठक में भाग नहीं लिया	कितने प्रतिशत अभिभावकों ने बैठक में भागीदारी की	प्राप्त जनसहयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोट :- उत्कृष्ट विद्यालयों की सूचना पृथक से भिजवाये।